

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

2-17/73

सं० 115] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 1973/वैशाख 29, 1895

No. 115] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 1973/VAISAKHA 29, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 19th May 1973

SUBJECT.—Import of "Dates" (S. No. 21(b)/IV) from Iraq during September, 1972—March, 1973 licensing period on annual Basis—Extension in the validity period.

No. 72-ITC(PN)/73.—Attention of importers is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 59-ITC(PN)/73, dated the 23rd April, 1973, on the above subject.

2 Paragraph 2 of the aforesaid Public Notice may be deemed to have been amended to read as follows:—

"On a review of the position it has been decided that the validity period of unutilised/partially utilised licences, issued during the period 1st September, 1972 to 21st March, 1973, for import of "Dates" from Iraq in terms of the aforesaid Public Notices, may be deemed to have been extended upto the 30th September, 1973. This concession of automatic extension upto 30th September, 1973 will also be

applicable to those licences for import of "Dates" from Iraq which have been issued against pending applications of back periods, with a validity upto 31st March, 1973, provided they were issued during the period 1st September, 1972 to 31st March, 1973. No endorsement to this effect is necessary to be made on the licences by the licensing authority concerned. The Customs authorities will allow clearance with in the extended date on the basis of this Public Notice, if the imports are otherwise in order."

3. Contents of paragraphs 1 and 3 of the Ministry of Commerce Public Notice No. 59-ITC(PN)/73, dated the 23rd April, 1973 remain changed.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 19 मई, 1973

विषय :—वार्षिक आधार पर लाइसेंस अवधि सितम्बर, 1972—मार्च, 1973 के दौरान ईराक से "खजूरों" (क्रम संख्या 21 (बी)/(4) का आयात ।

संख्या 72—आई० टी० सी० (पीएन)/73.—उपर्युक्त विषय पर, वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 59—आईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 23 अप्रैल, 1973 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 2 को निम्नलिखित रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :—

"स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं की शर्तों के अनुसार ईराक से "खजूरों" के आयात के लिए 1 सितम्बर, 1972 से 31 मार्च 1973 के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों की वैध अवधि जिनका उपयोग नहीं किया गया है / आंशिक उपयोग किया गया है, 30 सितम्बर, 1973 तक बढ़ाई गई समझी जाए । 30 सितम्बर, 1973 तक की स्वतः वृद्धि की सुविधा ईराक से "खजूरों" के आयात के लिए उन लाइसेंसों के लिए भी लागू होगी जो पीछे की अवधि के बाकी पड़े आवेदन-पत्रों के मद्दे 31 मार्च, 1973 तक की वैध अवधि के लिए जारी किए गए हैं ब्रणर्ते कि वे 1 वितम्बर, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए थे । सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंसों पर इस संबंध में पृष्ठांकन करने की जरूरत नहीं है । यदि आयात अन्यथा रूप से ठीक है, तो सीमाशुल्क प्राधिकारी इस सार्वजनिक सूचना के आधार पर बढ़ाई गई अवधि के भीतर निकासी की अनुमति देंगे ।"

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 59—आईटीसी(पीएन) /73, दिनांक 23 अप्रैल, 1973 की कंडिका 1 और 3 की विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं है ।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।